समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला प्रोग्राम शाखा)
प्रथम तल विकास भवन, समाहरणालय परिसर पूर्णियाँ 854301
फोन– 06454–240776, ई०मेल– dpo.purnia@icdsbih.gov.in

श्री राजेश कुमार,भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ –सह– अध्यक्ष महिला पर्यवेक्षिका नियोजन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2014 को अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के अवधि विस्तार/समाप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति/जिला नियोजन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति :– पंजी के अनुसार**

2. सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों का अभिनंदन किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा नियोजन समिति को बताया गया कि इस जिले में महिला पर्यवेक्षिका के कुल–99 पद स्वीकृत है, जिसमें 04 नियमित महिला पर्यवेक्षिका कार्यरत है। 81 महिला पर्यवेक्षिका पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित होकर कार्यरत है। शेष 14 पद रिक्त है। सभी 81 महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियोजन अवधि विस्तार/समाप्ति पर निर्णय लिया जाना है।

   माह सितम्बर 2011 में 09 महिला पर्यवेक्षिकाओं का एक वर्ष के लिए नियोजन किया गया था एवं 66 महिला पर्यवेक्षिकाओं का माह फरवरी 2012 में छः माह के लिए अवधि विस्तार किया गया था, जिनका नियोजन अवधि अगस्त 2012 एवं सितम्बर 2012 में समाप्त हो गया था। दिनांक– 18.08.12 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति द्वारा उपरोक्त सभी का अगले छः माह के लिए अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया था, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ के ज्ञापांक–2217/जि०प्रो०, दिनांक– 22.08.12 द्वारा नियोजन अवधि समाप्ति की तिथि से अगले छः माह (यानि फरवरी–मार्च 2013 तक) के लिए पूर्व में किये गये एकरारनामा के शर्तो के अधीन अवधि विस्तार किया गया था। दिनांक– 26.02.2014 को नियोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक– 377/जि०प्रो०, दिनांक– 26.02.14 द्वारा पूर्व अवधि विस्तार समाप्ति की तिथि से एक (01) वर्ष (यानि फरवरी–मार्च 2014 तक) के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई थी। जो अवधि समाप्त हो गयी है।

3. निदेशक, आई०सी०डी०एस० बिहार, पटना के पत्रांक– 3002, दिनांक– 18.06.13 द्वारा नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध विस्तार हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका का मूल्यांकन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर अवधि विस्तार/समाप्ति पर निर्णय लिया जाना है। पुनः निदेशक, आई०सी०डी०एस० बिहार, पटना के पत्रांक–6998, दिनांक–19.12.13 द्वारा मूल्यांकन के संबंध में संशोधित पत्र निर्गत किया गया, उक्त पत्र के साथ मूल्यांकन हेतु जाँच पत्र भी संलग्न किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जाँच पत्रक में किये गये महिला पर्यवेक्षिकाओं के मूल्यांकन में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर अगले एक वर्ष एवं 40 से 50 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त करने वाली महिला पर्यवेक्षिका को सशर्त छः माह एवं 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने पर अवधि विस्तार नहीं किये जाने का निदेश है। उक्त निदेशानुसार सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की गई। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अमौर परियोजना की श्रीमती पुनम कुमारी को 200 अंक में 85 अंक दिया गया, जो 42.50 प्रतिशत होता है। शेष सभी 80 महिला पर्यवेक्षिकाओं को 50 प्रतिशत से अधिक अंक दिया गया है।

4. श्रीमती निकिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, बी० कोठी दिनांक– 06.03.14 से 31.07.14 तक चिकित्सीय अवकाश में रही है एवं दिनांक– 01.08.14 को स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय, बी० कोठी में योगदान की है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बी० कोठी ने अपने पत्रांक–627, दिनांक– 14.08.14 द्वारा श्रीमती निकिता कुमारी के अवकाश

की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंतव्य उपलब्ध कराया है एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया है, इस संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

5. उपरोक्त वर्णित स्थिति पर नियोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विमर्श के पश्चात अन्य सभी नियोजित 80 **महिला पर्यवेक्षिकाओं में से अमौर परियोजना की श्रीमती पुनम कुमारी (जिन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त है) उन्हें सशर्त पूर्व अवधि विस्तार समाप्ति की तिथि से छः माह एवं शेष 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को अवधि विस्तार समाप्ति की तिथि से अगले एक (01) वर्ष तक के लिए पूर्व एकरारनामा के शर्तो के अधीन अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया।** साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियोजन मुक्त कर दिया जायेगा।

6. आँगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु महिला पर्यवेक्षिका अपने दो पहिये वाहन का स्वयं उपयोग करेंगी, ताकि निरीक्षण की गुणवत्ता बनी रहें। इसे संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक............../जि०प्रो०, दिनांक–........./09/2014
प्रतिलिपि :– जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक............../जि०प्रो०, दिनांक–........./09/2014
प्रतिलिपि :– निदेशक आई०सी०डी०एस० बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त पूर्णियाँ, प्रमंडल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajche.
23/9/14
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।